96/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.1.2023 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 व 7 वकील हाजिर। शेष प्रतिवादी एकतरफा। बहस हेतु अवसर चाह रहे है, जो अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते- बहस दिनांक 20.1.2023 को पेश हो।	
(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
20.1.23 पक्षकारान के अधिवक्ता ... / ... / पीठासीन अधिकारी दिगर ... में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते बहस हो दिनांक 30.1.2023 को पेश हैं। (हस्ताक्षर)	
30.1.2023 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी एकतरफा। वकील वादी की बहस सुनी गई, जिन्होने बहस तर्क दिये कि विवादित भूमि में वादी का गलत नाम पारस पुत्र कान सिंह Y2 हिस्सा इन्द्राज हो रखा है, जबकि वादी का वास्तविक नाम पप्पू सिंह पुत्र कान सिंह है और वास्तविक नाम से ही अन्य सरकारी दस्तावेजात बना रखे हैं। लेकिन विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज होने के कारण किसी प्रकार की कोई सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले ... है। अतः मैं निवेदन किया कि ... रिपोर्ट के अनुसार वादी का ... स्वीकार किया जावे। इसने वकील वादी	
(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:22:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	को बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित भूमि में वादी का गलत नाम पारससिंह अंकन हो रखा है और पारससिंह व पप्पूसिंह एक ही नाम का व्यक्ति है। अन्य सरकारी दस्तावेज वास्तविक नाम पप्पूसिंह के नाम है। 7 PR द्वारा नाम दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई। विवादित भूमि के खातेदार द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन अंतर्गत वादी का वाद स्वीकार योग्य है।
	फलस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम तिरसींगड़ी सोढा तहसील कल्याणपुर की खाते खतौनी नम्बर 469 रकबा 21-13 बीघा भूमि में अशुद्ध नाम प्रविष्टि पारससिंह पुत्र खानसिंह 1/2 हिस्सा के स्थान पर शुद्ध नाम प्रविष्टि पप्पूसिंह पुत्र खानसिंह 1/2 दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।
	निर्णय सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल कुमार बेजर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:22:29 IST
Reason: SelfAttested